

पत्रांक:- 15/एम 1-214/2012 (अंश)

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार

प्रेषक,

डॉ० प्रो० रेखा कुमारी,  
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव,  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक .....2022

विषय :- कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना  
का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 2130 दिनांक 20.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA, एवं B.Sc (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60-60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120-120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों के निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जा जाती है:-

भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रेखा कुमारी)


निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांक- 15/एम 1-214/2012 (अंश)-2226

पटना, दिनांक 28.07.2022

प्रतिलिपि:- निदेशक कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

2. आई०टी० मैनेजन्स, शिक्षा विभाग को विभागीय टेबलआईड पर अपलोड करने हेतु पेषित।

  
निदेशक, उच्च शिक्षा



# PATLIPUTRA UNIVERSITY

## PATNA-800020

E- mail: patliputrauniversity2018@gmail.com  
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-.....

Date:-.....

### अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम 1-214/2012 (अंश) - 2226 दिनांक 28.07.2022 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.SC (IT) में अस्थायी संबंधन हेतु निर्गत आदेश के क्रम में अतिरिक्त एक यूनिट की बढ़ोतरी (60-60 सीट) तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 एवं 2024-25 के लिए संबंधित पाठ्यक्रम में 120-120 सीटों पर छात्रों के नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण (एक अतिरिक्त यूनिट बढ़ोतरी सहित) की स्वीकृति निम्न निदेश के साथ प्रदान की जाती है -

"भविष्य में, राज्यपाल सचिवालय से व्यवसायिक पाठ्यक्रम से संबंधित निर्गत होनेवाले परिनियम में अंकित मापदण्ड प्रश्नगत संस्था पर भी प्रभावी होगा"।

ह0/-  
(डॉ० जितेन्द्र कुमार)  
कुलसचिव  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक R/PPU/2700/22

दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित

1. प्राचार्य/सचिव, कैटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०-सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना।
2. डी० एस०डब्ल्यू०/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना।
3. महाविद्यालय निराक्षक (विज्ञान) पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति महोदय/प्रतिकुलपति महोदय/कुलसचिव के निजी सचिव, पी०पी०यू०, पटना।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. संरक्षित संचिका।

कुलसचिव  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।  
24-11-2022



प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० से०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक— 2022

विषय— कैंटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०— सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया,  
पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1218/Aff-03/2022 दिनांक 15.06.2022 द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०— सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के लिए अस्थायी संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक-1288 दिनांक 26.05.2022 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०—सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

पत्रांक-15/एम 1-214/2012 (अंश) - 2130

पटना, दिनांक 20.07.22

प्रतिलिपि:— उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैंटलिस्ट कॉलेज, कॉमर्शियल प्लॉट नं०—सी-16, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० से०  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक— 2021

विषय— कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक R/PPU/1191/2021 दिनांक 09.02.2021 द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में सत्र 2021-22 के लिए संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-15/एम1-214/2012 - 2526.

पटना, दिनांक 23.11.21.

प्रतिलिपि:-उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
23/11/21  
सरकार के उप सचिव





# PATLIPUTRA UNIVERSITY

## PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com  
registrar@ppup.ac.in

Ref.no:-.....

Date:-.....

### अधिसूचना

सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 15/एम1 - 214/ 2012 -1262 पटना, दिनांक 29/07/2020 के द्वारा कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार

ह०/-

(डॉ० जितेन्द्र कुमार)

कुलसचिव


पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञापांक:- R/PPU/313/2020.....


दिनांक:- 09/10/2020.....

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्राचार्य/ सचिव, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स, अशोक राजपथ, पटना।
2. डी०एस०डब्ल्यू०/ परीक्षा नियंत्रक/ वित्त पदाधिकारी, पी०पी०यू०, पटना को सूचनार्थ।
3. महाविद्यालय निरीक्षक (विज्ञान)/ (कला एवं वाणिज्य), पी०पी०यू०, पटना।
4. माननीय कुलपति/ कुलसचिव के निजी सचिव/ सहायक को माननीय के अवलोकनार्थ।
5. वेब संयोजक, पी०पी०यू०, पटना को अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

  
कुलसचिव

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

  
रेजिस्ट्रार

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि० प्र० सं०

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक—

2020

विषय—

कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक PPU/ICA/77/2020 दिनांक 26.02.2020 द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(d) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियमन के आलोक में स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रम BBM, BCA एवं B.Sc(IT) में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए 60-60 सीटों पर छात्रों का नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण का स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)


सरकार के उप सचिव

आपांक-15/एम1-214/2012 — 1262.

पटना, दिनांक 29.04.2020.

प्रतिलिपि—उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, कैंटलिस्ट कॉलेज, कुल्हड़िया कम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागाध्यक्ष वेबसाइट पर अपलोड करन हेतु प्रेषित।

  
28/2/2020  
सरकार के उप सचिव



पत्रांक-15/एम 1-214/2012

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय :- कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना का संबंधन एवं नामांकन हेतु सीटों का निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के पत्रांक 55/GIIB/19 दिनांक 30.04.2019 के आलोक में आपके पत्रांक R/PPU/1065/19 दिनांक 22.07.2019 से सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 5099/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में संबंधन एवं सीटों का निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2)(D) में वर्णित प्रावधान के तहत संबंधन की स्वीकृति एवं राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा निर्गत पत्र, अध्यादेश एवं विनियम के आलोक में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम बी०सी०ए०, बी०बी०एम० एवं बी०एस०सी०आई०टी० में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए छात्रों का नामांकन हेतु 60-60 सीटों का निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक :- 15/एम 1-214/2012 - 2693

पटना, दिनांक 19/11/19

प्रतिलिपि:- निदेशक, कैटलिस्ट कॉलेज, कुल्हरिया कॉम्पलेक्स, अशोक राजपथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

  
सरकार के उप सचिव।



# PATLIPUTRA UNIVERSITY

## PATNA-800020

E-mail:- patliputrauniversity2018@gmail.com

Ref. no: R/PPU/1753/19

Date: 08/12/2019

To,  
The Principal  
Catalyst College,  
Ashok Rajpath, Patna

### Subject: Issue of College Code

Your College/Institution **Catalyst College, Kulharia Complex, Ashok Rajpath, Patna, Rajapal,**  
Patna is being allotted the **College Code — 445** for the purposes of Registration and Examination  
only.

#### Important:

- The College has to provide a certificate of registration from Govt. of Bihar.
- College Code can be used for the purposes of registration and examinations only.
- The College Code shall be valid only for the period of affiliation of the College with the university/ affiliating body.
- The College Code shall remain withdrawn/ suspended if the institution is found to violate the norms of affiliation.
- The college has to furnish a certified copy of the seats allotted in different subjects/courses and faculties in a soft (excel sheet) and hard copy.
- The principal of the college has to ensure that the number of students enrolled in various subjects should not exceed the allotted seats in any circumstances. The college is liable for disciplinary action for any violation for good conduct.
- The college has to send the duly certified Alphabetical List of enrolled students in various subjects (subject-wise) in a soft (excel sheet) and hard copy within seven days of closure of admission in the session/course.

By the order of the Hon'ble Vice-Chancellor

*K.K. Singh*  
(K.K. Singh) 8/12/19  
Registrar

Patliputra University, Patna

*P.K.*  
08/12/19

#### Copy to:

1. Controller of Examinations
2. Inspector of Colleges, Science/Arts & Commerce
3. FA/FO
4. PS to VC/PVC
5. Guard File